इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020—श्रावण 9, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्र. 589-259-2020-ए-सोलह.—कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना प्रकाशन दिनांक से तीन माह के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानों को धारा 65 की उपधारा (3) की कंडिका (क) के अंतर्गत वयस्क कर्मकारों के साप्ताहिक घंटे, दैनिक घंटे, विश्राम अंतराल संबंधी प्रावधानों में निम्न शर्तों के साथ छूट दिया जाना विनिर्दिष्ट करती है:—

1. किसी भी वयस्क कर्मकार से किसी भी दिवस में 12 घंटे से अधिक तथा सप्ताह में 72 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा.

2. किसी कारखाने में वयस्क कर्मकारों के प्रतिदिन के काम करने की कालावधियाँ इस प्रकार की नियत की जाएंगी कि कोई कालावधि छ: घंटों से अधिक की नहीं होगी और कोई कर्मकार कम से कम आधे घंटे का विश्राम अंतराल ले चुकने के पूर्व छ: घंटों से अधिक काम नहीं करेगा.

3. प्रत्येक कर्मकार को अतिकाल कार्य हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानानुसार अतिकाल अवधि का नियमानुसार भुगतान किया जावेगा.

4. ऐसा अतिकाल काम किसी कर्मकार के लिए अनिवार्य या बाध्यकर नहीं होगा.

No. 589-259-2020-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Factories Act, 1948, the Government of Madhya Pradesh hereby directs that all the Factories registered under the factories Act, 1948 shall be exempted from various provisions relating to weekly hours, daily hours, Intervals for rest etc. of adult workers under clause (a) of sub-section (3) of Section 65 with the following conditions for 3 months from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette:—

1. No adult worker shall be allowed or required to work in a factory from more than Twelve hours in any day and Seventy Two hours in any week.

2. The periods of work of adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period shall exceed six hours and that no worker shall work for more than six hours before he has had an interval for rest of at least half an hour.

3. Over time Wages shall be paid as provided under section 59 of the Factories Act, 1948.

4. Such overtime work shall not be made compulsory or obligatory for any worker.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्र. 618-258-02-2020-ए-16.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 958-02-2020-ए-16, दिनांक 5 मई, 2020 एवं 11 मई, 2020 (मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 15 मई, 2020) के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्द्वारा, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत सभी कारखानों को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से आगामी तीन माह के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6, धारा 7, 8 सुरक्षा संबंधी अध्याय-4 की धारा 21 से लगायत 41-एच, धारा 59, धारा 65, धारा 67, धारा 79, धारा 88 तथा धारा 112 एवं सपठित मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली, 1962 के नियमों को छोड़कर कारखाना अधिनियम, 1948 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के सभी प्रावधानों से छूट प्रदान किया जाना विनिर्दिष्ट करती है.

No. 618-258-02-2020-A-16.- In continuation of this department Notification No. 958-02-2020-A-16, dated 5th may, 2020 and 11th may, 2020 (published in Madhya Pradesh Gazette dated 15th may, 2020) in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Factories Act, 1948, the Government of Madhya Pradesh hereby exempts all Factories registered under the Factories Act, 1948 in state of Madhya Pradesh from all the provisions of the Factories Act. 1948 and Madhya Pradesh Factories Rules, 1962 except Section 6,7,8 and Section 21 to 41-H under chapter-4 about safety. Section 59. Section 65, Section 67, Section 79 Section 88. Section 112 and rules made there under for 3 months from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-2-11-2018-सात-शा.7.—''मध्यप्रदेश राजपत्र'' दिनांक 21 जून, 2019, भाग 4 (ग), पृष्ठ क्रमांक 699 से 701 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में संशोधन के अंग्रेजी अनुवाद में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित शब्द के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं:—

सारणी

	अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं		शुद्ध शब्द जो कि पढ़े जाएं
	(1)	(2)		(3)
		पृष्ठ	पंक्ति	
1.	tehsil	700	9	tahsil
2.	tchsil	700	10	tahsil
3.	expiary	701	13	expiry

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.